पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई।

11/4/16

प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी जा चुकी है। प्रकरण में आदेश 7 नियम -11 के प्रार्थना पत्र पर बहस प्रारम्भ करते हुये प्रार्थी (प्रतिवादी सं.-24) ने कथन किया कि उनके द्वारा लिखित बहस पेश की गई है, उस लिखित बहस का अवलोकन कर निर्णय किया जावे। इन्होंने यह भी कथन किया कि मेरे (प्रार्थी) द्वारा प्रस्तुत आवेदन, आदेश -7 नियम -11 के प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर निर्णय किया जावे। अपनी लिखित बहस में प्रार्थी ने कथन किया है कि वादी ने दावा प्रस्तुति के समय मिल रिकार्ड में सह-हिस्सेदारों के नाम वाद-पत्र में शामिल नहीं किये थे, जो आज भी वाद-पत्र से बाहर हैं। जानकारी में आने के उपरान्त भी संशोधित टाईटल में उनके नाम नहीं जोड़े हैं। केवल प्रार्थी का नाम न्यायालय के आदेश से जोड़ा गया है। हितबद्ध 9 नं. व्यक्तियों के नाम अभी भी वाद-पत्र से बाहर हैं। तथा मृतक आसामी का नाम वाद-पत्र से हटाने का प्रा. पत्र नहीं दिया गया है। इन्होंने आगे कथन किया कि हालांकि वादी पेश करना ही इनकी आय की समस्या है।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
बीकानेर

P.T.O.

इस संबंध में प्रार्थी ने वादी के विरुद्ध धारा 340 CrPC के तहत कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर न्यायालय द्वारा कार्यवाही नहीं की गई। इस पर प्रार्थी ने इस प्रकरण में वाद-पत्र की प्रति एवं अन्य 18 दस्तावेजों सहित न्यायालय ACJM क्र-2 में वादी के विरुद्ध IPC की धारा 192, 193, 196, 209 के अपराध में परिवाद पत्र पेश किया गया जो न्यायालय द्वारा दिनांक 09.09.15 को SHO सदर को वास्ते अनुसंधान प्रेषित किया गया है, अनुसंधान बाकी जो रकार है। अपनी बहस के हक में इन्होंने प्रार्थना पत्र O-7, R-11 & 151 CPC को स्वीकार करने तथा इस दावा को पूर्व दावा नं० 189/08 आदेश दिनांक 17/5/2012 की भांति इसी स्टेज पर सव्यय खारिज करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुये वादी के पक्ष अधिवक्ता श्री राजकुमार... ने कथन किया कि O-7, R-11 निम्न आवश्यक तत्व होने चाहिये:-

(1) वाद किसी विधि द्वारा वर्जित हो, जो यहां नहीं है।

(2) जहां वाद-हेतुक (cause of action) ना है।

(3) out of Limitation - मेरा दावा नहीं है।

न्यायालय सहायक कलक्टर, फास्ट ट्रेक बीकानेर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
बीकानेर

खारिज करने का निवेदन करते हुए वादी के वकील ने कथन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत खोला जाना को अपराध कहना विधि सम्मत नहीं है। दावा प्रस्तुत करना वादी का विधिक अधिकार है। वादी के विधिक अधिकार को प्रतिवादी ने अपराधिक रूप बताकर विधि के सिद्धान्तों की अवहेलना की है। इन्होंने आगे कथन किया कि सिविल न्यायालय द्वारा परिवाद जांच हेतु थाना पुलिस सदर भेजा गया है, जिसकी जांच रिपोर्ट अभी तक पुलिस थाना द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है अतः जांच रिपोर्ट से पूर्व ही प्रतिवादी द्वारा वादी पर बेबुनियाद दोषारोपण करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। वादी का वाद घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा का है जिस पर सुनवाई का अधिकार केवल राजस्व न्यायालय को ही है। अतः इस तरह वाद का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है, अथवा राजस्व न्यायालय को, यह बिंदु इस स्टेज पर तय नहीं किया जा सकता है। वादी मथरा देवी मतुराम का औरस पुत्र है इस कारण वादी को वाद लाने का पूर्ण अधिकार है। वादी अपने हितों की सुरक्षा के लिये राजस्व न्यायालय एवं सिविल न्यायालय दोनों में चाराजोई कर सकता है। अतः वादी

P.T.O.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
बीकानेर

न्यायालय सहायक कलक्टर, फास्ट ट्रैक बीकानेर

Pre-mature नहीं है। अपनी बहस के अन्त में इन्होंने प्रार्थी का प्रार्थनापत्र O-7, R-11 विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज निरस्त करने का निवेदन किया है।

हमने उभय पक्ष की बहस को ध्यान से सुना व उस पर मनन किया। पत्रावली का व उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने यह वाद मनशा देवी के 1/3 हिस्से का इन्तकाल सं० 326 व उसके आधार पर की गई प्रविष्टि को निरस्त करवाने तथा स्वयं को मनशा देवी का खातेदार पुत्र होने के नाते उसके 1/3 हिस्से का अधिकारी घोषित करवाने पेश किया है। वादी ने वाद-पत्र के साथ चुन्नीलाल पुत्र गणेशराम जाति राव उम्र 80 वर्ष पेशा खेती नार लोखड़ साकिन लाम्बिया तहसील जैतारण जिला पाली (राज०) के दिनांक 30.10.2012 के शपथ पत्र की फोटो प्रति पेश की है। इस शपथ पत्र के पैरा सं०-2 में यह अंकित किया है कि गोद पुत्र श्री बद्रीनारायण गोद पुत्र मनुरानगर पति मतुराम उर्फ राम नारायण कुमार दर्ज किया गया है। इसी शपथ पत्र के आधार पर वादी अपने आपको मनशा-

न्यायालय सहायक कलक्टर, फास्ट ट्रैक, बीकानेर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक)
बीकानेर

ई के को औरस पुत्र मानता है तथा मघरा देवी के 1/3 हिस्से भूमि की घोषणा डिक्री जारी करवाना चाहता है।

वादी स्वंय को औरस पुत्र होने के नाते मघरा देवी के हिस्से 1/3 प्रोपर्टी में अपना हिस्सा होने के आधार पर घोषणा करवाना चाहता है और यह तय करना राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। राजस्व न्यायालय यह तय नहीं कर सकता कि यह औरस है अथवा नहीं। राजस्व न्यायालय द्वारा केवल खातेदारी अधिकार तय होते है व घोषित किये जाते है। औरस/दत्तक पुत्र होना/नहीं होना सिविल कोर्ट तय करता है। वादी अपने वाद में बार-बार कहते है कि मैं औरस पुत्र हूं जबकि इनके (वादी) द्वारा गोदनामा किसी भी संस्था अथवा सक्षम अधिकारी से जारी गोदनामा नहीं है। गोदनामे की तथ्य को भाट बही से सिद्ध करना चाहा है जबकि भाट बही को विभिन्न न्यायालयों के मत में प्रमाणिक दस्तावेज नहीं माना जा सकता। वादी औरस पुत्र होने के नाते सम्पत्ति में अपने अधिकारों की घोषणा करवाना चाहता है, जबकि पहले इसे

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
बीकानेर

न्यायालय सहायक कलक्टर, फास्ट ट्रेक
बीकानेर

P.T.O.

खातेदार है अथवा नहीं इसको सिविल न्यायालय से तय करवाना चाहिये क्योंकि रेवेन्यु कोर्ट यह तय नहीं कर सकती है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वादी का वाद राजस्व प्रकृति का नहीं होकर सिविल प्रकृति का है क्योंकि वादी खातेदार पुत्र है अथवा नहीं इस पर सिविल न्यायालय का निर्णय होता है वादी खातेदार पुत्र घोषित होने के पश्चात ही वह राजस्व न्यायालय में दावे के माध्यम से अपने हकों की घोषणा करवा सकता है। ऐसी स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश–7 नियम–11 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है। आदेश–7 नियम–11 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार से जमा हो।

(ओम प्रकाश)
सहायक कलक्टर एवं RAS.
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) एवं
बीकानेर
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
बीकानेर

न्यायालय सहायक कलक्टर, फास्ट ट्रैक, बीकानेर